

**कार्यालय संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक,**  
चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय,  
ग्राम कचान्दुर, जिला -दुर्ग (छत्तीसगढ़) - 490024 ई-मेल: ccmgmchdurg@gmail.com

क्रमांक /रख-रखाव /CCMGMCH/2024 **2229**

दुर्ग, दिनांक :24/12/24

**कोटेशन सूचना (Quotation Notice)**

विषय:-चिकित्सालय हेतु आवश्यक दवाईयों एवं अन्य सामग्री क्रय के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय कचान्दुर दुर्ग (छ.ग.) हेतु आवश्यक दवाईयों एवं अन्य सामग्रीयों जो GEM PORTAL पर उपलब्ध नहीं है परन्तु उनकी आवश्यकता है, जिस हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिये निम्नलिखित सामग्री का निर्धारित प्रारूप में ही कोटेशन प्रस्तुत करे

:-

S.N.	ITEMS NAME	REQUIRED QTY
1	2	3
1	INJ. ANAWIN HEAVY 0.5%	
2	INJ. METHYLERGOMETRIN 0.2MG	
3	INJ. VALETHAMATE BROMIDE 8MG	
4	INJ. ADRENALINE 1ML 1MG	
5	INJ. ATROPINE SULPHATE 1ML 0.6MG	
6	INJ. ADENOSINE 2ML 6MG	
7	INJ. HALOPERIDOL 5MG	
8	INJ.MULTIVITAMINE 10ML	
9	INJ.OXYTOCIN (50UNITS)	
10	INJ.BUPRINORPHINE 2ML 0.3MG	
11	INJ.DEXTROSE 50%	
12	I/V METRONIDAZOLE 100ML	
13	I/V CIPROFLOXACIN 100ML	
14	SYP.ZIDOVUDINE	
15	SYP. NEVIRAPINE	
16	TAB.PHENYTION SODIUM 100MG	
17	EYE DROP PROPARACANE 0.5ML	

अतः उपरोक्तानुसार कोटेशन दर मुहरबंद लिफाफे में जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर शाम 5:00 बजे तक जमा करने की व्यवस्था करें। विलंब से प्राप्त कोटेशन मान्य नहीं की जावेगी।

नियम एवं शर्तें:-

1. कोटेशन में दर के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख करें। दर अंको एवं शब्दों दोनों में अंकित की जानी चाहिए।
2. कृपया जी.एस.टी. पंजीकरण विवरण प्रस्तुत करें साथ ही फर्म का वेंडर डिटेल्स संलग्न करें।
3. किसी भी फर्म की कोई भी शर्तें मान्य नहीं होगी।
4. सामाग्रियों को चिकित्सालय में पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित फर्म की होगी।
5. आदेश जारी होने के पश्चात् 07 दिवस के भीतर ही सामाग्रीयों प्रदाय किया जाना अनिवार्य है अन्यथा आदेश निरस्त किया जा सकता है।
6. लिफाफे के उपर कोटेशन नं. एवं विषय का नाम अंकित होना चाहिए।
7. प्रस्तुत किये गये कोटेशन दर एक वर्ष के लिये मान्य होगी।
8. राज्य शासन या उसके किसी भी विभाग द्वारा किसी भी फर्म को काली सूची (ब्लैक लिस्टेड) में डाली जाने वाली फर्म मान्य नहीं होगी। उक्त संबंध में उन्हें शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. सामाग्री अत्यधिक मानक और बेहतर गुणवत्ता का होना चाहिए।
10. उक्त सामाग्री गुणवत्ता विहिन पाये जाने पर वापस किये जाने का पूर्ण अधिकार संस्था को होगा। अनुमानित संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।
11. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।
12. सामग्री का प्रदाय MRP (अधिकतम खुदरा मूल्य) से अधिक मूल्य पर प्रदाय नहीं किया जायेगा।

*Jeena 24.12.24*

संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक  
चंदूलाल चंद्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय  
सम्बद्ध चिकित्सालय, कचांदूर, दुर्ग (छ.ग.)